देश के लिए.....अव्यवस्था के खिलाफ.....

जवाब दो!!!सरकार...

www.jawabdosarkar.com

E-Newsletter, Issued in Public Interest

गुरुवार, 21 नवम्बर 2019

अंक –2019/ACI/04

मी लार्ड!

आपने जिन अवैध कोचिंग संस्थानों को सील करने के आदेश दिए है,जे.डी.ए. अधिकारी उन्हें ही जे.डी.ए. पट्टे देने की तैयारी कर रहे है|

पथिक भवन गृह निर्माण सहकारी समिति की स्कीम 10(सुर्य-नगर) का है मामला

पथिक भवन गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा गोपालपुरा बाईपास रोड पर स्कीम-10 (सुर्य-नगर) काटी गयी थी,जिसके खसरा संख्या 203 स्थित 5 बीघा जमीन को सरकारी जमीन माना गया,जिसका इन्द्राज सुर्य-नगर स्कीम के जे.डी.ए. अनुमोदित नक़्शे और राजस्व रिकॉर्ड में दर्शित जमाबंदी रिकॉर्ड में भी किया गया है और जमीन को जे.डी.ए. के स्वामित्व में बताया गया है|

एक नहीं 7 अवैध व्यवसायिक कोम्प्लेक्स बन गए जिनमे चल रहे है बिना अनुमति कई नामचीन कोचिंग संस्थान और होस्टल

जे.डी.ए. की आँख के नीचे इस सरकारी जमीन पर एक नहीं सात-सात व्यवसायिक कोम्प्लेक्स मुख्य सड़क पर खड़े हो गए जिनमे कई नामचीन कोचिंग संस्थानों और होस्टलों का बिना अनुमति संचालन किया जा रहा है|

क्रम संख्या	कोचिंग संस्थान/व्यवसायिक गतिविधियाँ	पता
1.	Allen Carrier Institute	505,सुर्यनगर,गोपालपुरा बाईपास रोड
2.	NITJEE Academy	503,सूर्यनगर,गोपालपुरा बाईपास रोड
3.	Plus Point Institute	503A ,सूर्यनगर,गोपालपुरा बाईपास रोड
4.	Meritto Institute	502,सूर्यनगर,गोपालपुरा बाईपास रोड
5.	1. Fitoor Café & Kitchen 2. ExtraMarks In-stitute3.Progressive Institute	501,सुर्यनगर,गोपालपुरा बाईपास रोड
6.	Teacher ' s Academy	501-A,सुर्यनगर,गोपालपुरा बाईपास रोड
7.	Illegal Complex	500,सुर्यनगर,गोपालपुरा बाईपास रोड

जे.डी.ए. कर रहा है इन अवैध बिल्डिंगों समेत इस कोलोनी के नियमन की तैयारी|

जानकारी में आया है कि जे.डी.ए. ज़ोन-5 में स्थित ग्राम गोपालपुरा पटवार हल्का मांग्यावास के खसरा संख्या 203 (राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार जमीन जे.डी.ए. के नाम दर्शित) की सरकारी जमीन पर तीन हाउसिंग सोसाईटीयों की स्कीमों की ओवरलेपिंग थी,अथार्त तीनों गृह निर्माण सहकारी समितियाँ इस जमीन पर अपने अधिकार के लिए कोर्ट में लडाई लड़ रही थी|जबकि राजस्व के रिकॉर्ड के अनुसार यह जमीन जे.डी.ए. के स्वामित्व में ही बतायी जा रही है|वर्तमान में इस जमीन पर पथिक भवन गृह निर्माण सहकारी समिति के पट्टा धारकों के बसे होने के तथ्य को देखते हुए इस खसरे पर स्थित भूखंडों को पट्टे देने की गली निकाली गयी है|

भवन मानचित्र समिति(ले-आउट प्लान) की दिनांक 30/08/2019 को हुई 272 वीं बैठक में इस खसरे के भूखंडो को नियमित करने का लिया गया निर्णय

इस बैठक में जे.डी.ए. सचिव श्रीमति अर्चना सिंह,श्री आर.के.विजयवर्गीय निदेशक नगर आयोजना,श्रीमति संचिता विश्नोई अति. आयुक्त एलपीसी,श्रीमति पूनम प्रसाद सागर,अति आयुक्त रिकॉर्ड,श्री विनय कुमार,सदस्य सचिव एलपीसी के साथ ज़ोन 5 के उपायुक्त श्री ओम थानवी ज़ोन 5 के उप नगर नियोजक श्री अनुज कुमार फागणा भी मौजूद थे,परन्तु किसी ने भी यह तथ्य जानबूझ कर उजागर नही किये कि इस खसरा संख्या 203 पर अधिकांश पर अवैध कोचिंग संस्थानों और होस्टलों का संचालन किया जा रहा है,जिसके सम्बन्ध में उच्च न्यायालय में जन हित याचिका भी लंबित है|

नहीं दे रहे सुचना के अधिकार के तहत जानकारी

हमारे द्वारा इस खसरे के सम्बन्ध में कई बार सुचना सम्बंधित जे.डी.ए. ज़ोन उपायुक्त-5 से मांगी गयी है जिसके सम्बन्ध में,वह इस स्कीम से सम्बंधित पत्रावली का अवलोकन तो करवा देते है परन्तु इस खसरे से सम्बंधित पत्रावली को देने से आनाकानी कर रहे है|

उपायुक्त से लेकर पटवारी तक पैसे खाए बैठे है इस फाईल में,जे.डी.ए. के बड़े अधिकारियों को भी है जानकारी

ऐसा नहीं है कि इस मामले को छोटे स्तर पर मैनेज किया जा रहा है,इस मामले को मैनेज करने के लिए इस खसरे पर कोचिंग संस्थान और होस्टल चलाने वाले भूखंड मालिकों द्वारा छोटे से लेकर बड़े अधिकारियों की भेंट-पूजा की गयी है|जिसके चलते यह पत्रावली कहीं नहीं रुक रही है|सुनने में आया है कि यह पत्रावली कई बार जे.डी.सी. और सचिव महोदय तक घूमकर आ गयी है|

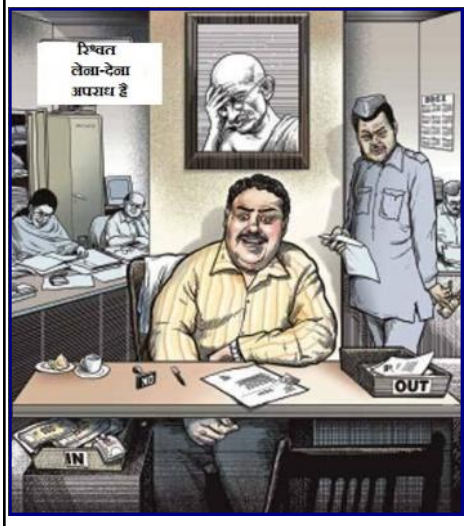

इस खसरे की पृथक से ZLC भी करवाई जा चुकी है|

जानकारी में यह भी आया है कि इस खसरे की पृथक से ZLC भी की जा चुकी है,ZLC में तहसीलदार,ATP और उपायुक्त की एक कमिटी होती है जिसको किसी भी भूखंड या भूखंडों को नियमित करने की शक्ति होती है|

केवल शपथ पत्र के आधार पर कर देंगे नियमन

अपने आला अधिकारियों की आँखों में धुल झौंकने के लिए उपायुक्त स्तर पर,जिन भूखंडों में व्यवसायिक गतिविधियाँ चल रही है उनसे केवल व्यवसायिक गतिविधियाँ नहीं करने और

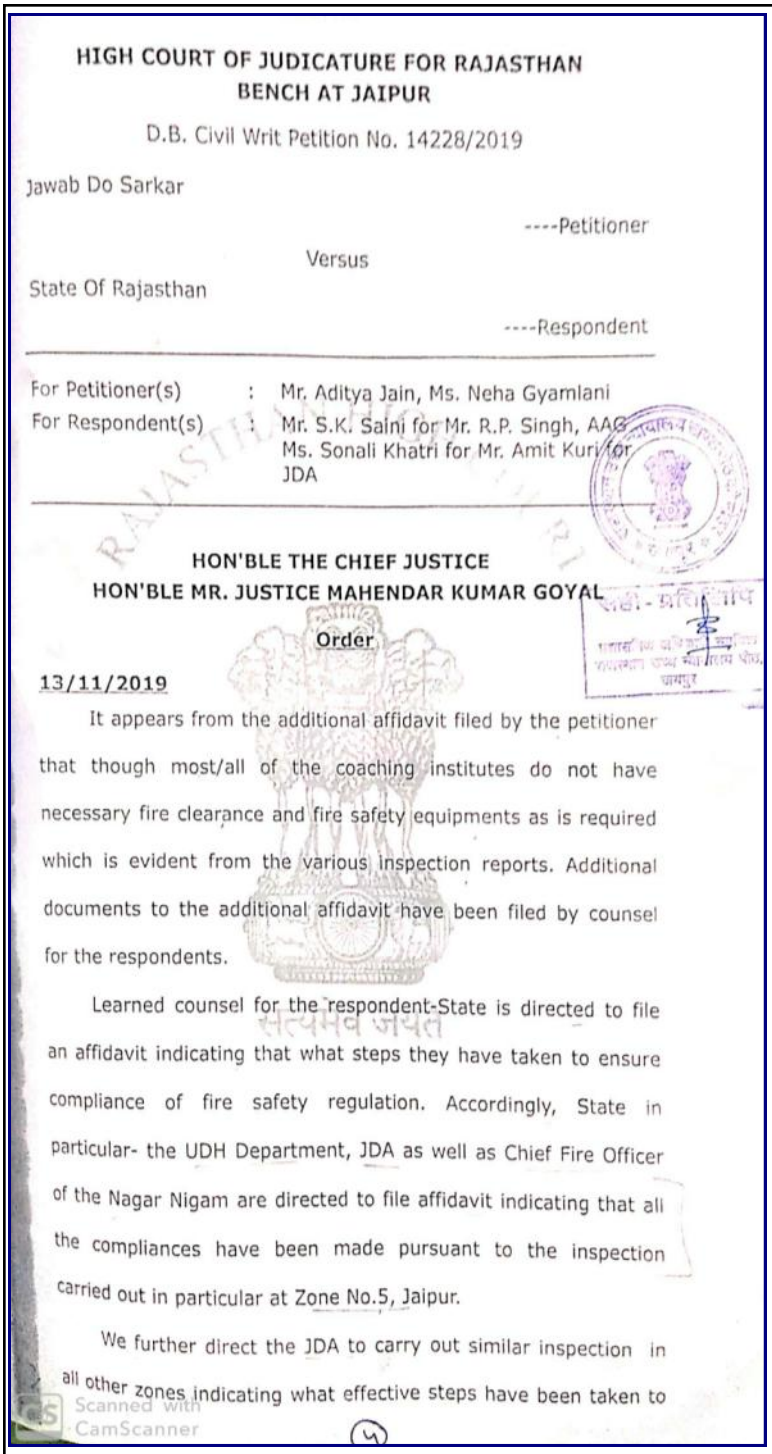

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

D.B. Civil Writ Petition No. 14228/2019

Jawab Do Sarkar

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan

----Respondent

For Petitioner(s) : Mr. Aditya Jain, Ms. Neha Gyamlani
For Respondent(s) : Mr. S.K. Saini for Mr. R.P. Singh, AAG
Ms. Sonali Khatri for Mr. Amit Kuri for JDA

HON'BLE THE CHIEF JUSTICE
HON'BLE MR. JUSTICE MAHENDAR KUMAR GOYAL

Order

13/11/2019

It appears from the additional affidavit filed by the petitioner that though most/all of the coaching institutes do not have necessary fire clearance and fire safety equipments as is required which is evident from the various inspection reports. Additional documents to the additional affidavit have been filed by counsel for the respondents.

Learned counsel for the respondent-State is directed to file an affidavit indicating that what steps they have taken to ensure compliance of fire safety regulation. Accordingly, State in particular- the UDH Department, JDA as well as Chief Fire Officer of the Nagar Nigam are directed to file affidavit indicating that all the compliances have been made pursuant to the inspection carried out in particular at Zone No.5, Jaipur.

We further direct the JDA to carry out similar inspection in all other zones indicating what effective steps have been taken to ensure that safety requirement of coaching institute is fulfilled in the interest of the students.

The affidavit be filed within two weeks.

List the matter after three weeks.

(MAHENDAR KUMAR GOYAL),J (INDRAJIT MAHANTY),CJ

Pcg-madan/24

अवैध निर्माण स्वयं के स्तर पर हटा लेने के शपथ पत्र के आधार पर ही जे.डी.ए. आवासीय पट्टे बाँट दिए जायेंगे|अब सवाल यह है कि बिना व्यावसायिक भू-परिवर्तन,बिना नक़्शे अनुमोदित करवाये,बिना फायर NOC,बिना सुरक्षा मानदंडों,बिना सेट बैक छोड़े,सड़क पर प्रोजेक्शन वाली इन बिल्डिंगों को नियमित करने की इस ज़िंदा मक्खी को जे.डी.सी. महोदय कैसे निगलेंगे?

इस खसरे पर चल रहे अवैध कोचिंग संस्थानों और होस्टलों को पट्टे नहीं देने के लिए दी जा चुकी है आपत्ति,पंरतु फिर भी जे.डी.ए. अधिकारी उसे कर रहे है नजरअंदाज

हमारे द्वारा पूर्व में भी इस पत्रावली में हलचल होने पर दिनांक 06/09/2019 को नगरीय विकास विभाग के मंत्री महोदय सहित जे.डी.ए. के आला अधिकारियों और ज़ोन –5 के उपायुक्त,ATP को इस अनुचित कृत्य के लिए आपत्ति के जरिये आगाह किया जा चूका है,परन्तु किसी के कानों पर जूं नहीं रेग रही|

सिविल रिट पिटीशन 14228/2019 जवाब दो सरकार बनाम राजस्थान सरकार में 13/11/2019 को दिए गए फैसले में सभी अवैध कोचिंग संस्थानों को बंद कर शपथ पत्र देने के दिए गए है निर्देश

शहर में बिना अनुमति,बिना फायर NOC और बिना भवन विनियमों की पालना किये, चल रहे अवैध कोचिंग संस्थानों को 2 हफ़्तों में बंद कर शपथ पत्र देने के आदेश माननीय राजस्था उच्च न्यायालय द्वारा अपने दिनांक 13/11/2019 को पारित निर्णय में दिए है|ऐसे में यदि इस खसरे में निर्मित और संचालित कोचिंग संस्थानों को पट्टे दे दिए जायेंगे तो माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की अवमानना का जिम्मेदार कौन होगा?साथ ही अधिकारियों की इस भ्रष्ट कवायद की सजा क्या होगी?यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा|

एलपीसी मीटिंग के मिनिट्स

एजेण्डा संख्याः–3–जोन– 5 (272/30.08.2019)

विषयः–पथिक भवन गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना स्कीम नं. 10 सूर्य नगर में खसरा नं. 203 के ओवरलेपिंग भाग से प्रभावित भूखण्डों के नियमन के सबंध में।

प्रकरण के तथ्यः–

1. पथिक भवन गृ.नि.स.स. की योजना स्कीम नं. 10 सूर्य नगर का अनुमोदन बी.पी.सी. (एल.पी.) द्वारा दिनांक 18.7.2003 को किया गया।
2. प्रकरण में ग्राम गोपालपुरा के हाल खसरा सं. 203 रकबा पर योजना के अनुमोदन के समय अपोलो गृ.नि.स.स. की योजना दयाल नगर से सूर्य नगर के भूखण्डो के ओवरलेप होने के कारण ओवरलेपिंग भाग को अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया था।
3. प्रकरण में राजस्व शाखा की पैरा 20/एन तथा 35/एन पर टिप्पणी अनुसार ग्राम गोपालपुरा गत खसरा नं. 222 हाल खसरा न. 203 रकबा 5 है0, 238 रकबा 0.2 है0, 309 रकबा 0.4 है0, 310 रकबा 2.48 है0 व 383/518 रकबा 0.23 है0 कुल 8.31 है0 मे से श्रीमती विद्या देवी ने अपने स्वामित्व की 14 बीघा 11 बिस्वा भूमि का बेचान पथिक भवन गृ.नि.स.स. को किया गया।
4. प्रकरण में पैरा 43/एन अनुसार हाल खसरा संख्या 203 रकबा 20 बीघा (5 है0) की 90बी की कार्यवाही दिनांक 7.1.2000 को अपोलो नगर गृ.नि.स.स. के पक्ष मे योजना दयाल नगर अनुमोदित किये जाते समय की गई। (पृष्ठ सं. 35/सी) परन्तु, उक्त खसरे की खातेदारी जविप्रा के नाम दर्ज नही की गई थी। जिस पर तहसीलदार सागानेर को दिनांक 27.8.2018 को पत्र लिखे जाने पर दिनांक 20.12.2018 को सम्पूर्ण खसरा नं. 203 की खातेदारी जविप्रा के नाम दर्ज कर दी गई है।
5. प्रकरण में खसरा संख्या 203 के स्वामित्व के सम्बन्ध में मित्र गृ.नि.स.स. व पथिक भवन गृ.नि.सस के मध्य दायर सिविल वाद संख्या 115/2004 में अपर जिला न्यायाधी 1 फास्ट ट्रेक कम–5 द्वारा दिनांक 9.3.2006 को दिये गये निर्णय में वाद का निस्तारण पथिक भवन गृ.नि.स.स. के पक्ष में किया गया। जिसके अनुसार उक्त भूमि का स्वामित्व पथिक भवन गृ.नि.स.स. के पक्ष में माना गया। पृष्ठ सं. 61/सी से 85/सी पर संलग्न। पैरा 85/एन पर विधिक शाखा की टिप्पणी अनुसार खसरा नं. 203 ग्राम गोपालपुरा मे कोई वाद विवाद लम्बित नही है।
6. प्रकरण में खसरा सं. 203 के ओवरलेपिंग भाग के सम्बन्ध में अपोलो नगर गृ.नि.स.स. द्वारा दिनांक 15.2.2017 को अनापत्ति जारी की है (पृष्ठ सं. 179/सी) पैरा 45/एन पर सहकारिता प्रकोष्ठ की टिप्पणी अनुसार उक्त अनापत्ति पथिक भवन गृ.नि.स.स के पक्ष मे जारी की गई है तथा अपोलो नगर गृ.नि.स.स. द्वारा अनापत्ति दिये जाने के कारण भूखण्डो के नियमन की कार्यवाही की जा सकती है।
7. पैरा 46/एन पर माननीय आयुक्त महोदय द्वारा निष्पक्षता तथा मग.चंतजम के हितो को ध्यान में रखते हुये जविप्रा द्वारा ओवरलेपिंग से प्रभावित भूखण्डो की सूची प्रकाशित किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये थे। पैरा 71/एन अनुसार खसरा नं. 203 मे ओवरलेपिंग से प्रभावित भूखण्डो पर आपत्ति बाबत भूखण्डो की सूची जविप्रा वेबसाईट पर प्रकाशित की जा चुकी है।
8. पैरा 112/एन पर विधिक शाखा की टिप्पणी अनुसार योजना प्रस्तुत करने वाली सहकारी समिति के पास खातेदार का स्पष्ट कय नामा/इकरारनामा होना आव यक है तथा जहॉ तक अपोलो नगर समिति द्वारा दिये गये अनापत्ति प्रमाण–पत्र का प्र न है। समिति के पास उक्त भूमि का स्वामित्व होने पर ही अनापत्ति पर विचार किया जा सकता है।
9. प्रकरण मे पैरा 129/एन अनुसार श्रीमती विधा देवी द्वारा खसरा नं. 203 में अपने स्वामित्व की 14 बीघा 11 बिस्वा भूमि का बेचान पथिक गृ.नि.स.स. को किया गया था। हाल खसरा नं. 203 का रकबा 20.00 बीघा (5.00 है0) का था, जिसमे से 6 बीघा भूमि का बेचान अपोलो नगर गृ.नि.स.स को दयाल नगर योजना हेतु किया गया था। अपोलो गृ.नि.स.स. दयाल नगर के अनुमोदित योजना मानचित्र की प्रति पृष्ठ सं. 315/सी पर संलग्न है। हाल खसरा नं. 203 गत खसरा नं. 222 मिन से बना था। ग्राम गोपालपुरा के खसरा नं. 203 के नक्शा ट्रेस अनुसार खसरे की स्थिति पृष्ठ सं. 415/सी पर संलग्न है। जिसके अनुसार खसरा नं. 203 में दयाल नगर योजना का सम्पूर्ण क्षेत्रफल, सूर्य नगर का ओवरलेपिंग भाग तथा खसरा नं. 203 मे स्थित सूर्य नगर का अनुमोदित भाग सम्मिलित है। उक्त तीनो भागो का क्षेत्रफल निम्नानुसार हैः–
    - दयाल नगर के अनुमोदित मानचित्र अनुसार योजना का कुल क्षेत्रफल– 17651.00 वर्गगज है।
    - योजना के ओवरलेपिंग भाग का क्षेत्रफल 22288.00 वर्गगज है।

- योजना के खसरा नं. 203 के अनुमोदित भाग का क्षेत्रफल 19769.00 वर्गगज है।

उक्त तीनो भागो का क्षेत्रफल 59708.00 वर्गगज (लगभग 5.00 है0) है। अतः मानचित्र में दर्शित ओवरलेपिंग भाग का नियमन श्रीमती विधा देवी द्वारा पथिक भवन गृ.नि.स.स. की बेची हुई 14 बीघा 11 बिस्वा भूमि के आधार पर किया जा सकता है।

10. मास्टर प्लान–2025 व जोनल प्लान–03 अनुसार प्रश्नगत ओवरलेपिंग भूमि का भू–उपयोग आवासीय है।
11. खसरा सं. 203 ओवरलेपिंग से प्रभावित भूमि का क्षेत्रफल विश्लेषण निम्नानुसार है:–

क्र. स.	भू–उपयोग	क्षेत्रफल वर्गमीटर में	प्रतिशत :
1.	आवासीय	16713	89.68
2.	सडक	1923	10.32
कुल क्षेत्रफल		18636 (22288.00 वर्गगज)	100

12. प्रकरण में सूर्य नगर के अनुमोदित मानचित्र अनुसार योजना का क्षेत्रफल विश्लेषण निम्नानुसार, जिसमे खसरा सं. 203 के ओवरलेपिंग भाग से प्रभावित भूमि का क्षेत्रफल भी सम्मिलित है:–

क.स.	भू–उपयोग	क्षेत्रफल बीघा में	प्रतिशत :
1.	आदासीय	72.78 बीघा	64.20
2.	सुविधा क्षेत्र	4.46 बीघा	3.93
3.	सडक	36.12 बीघा	31.87
कुल क्षेत्रफल		113.36 बीघा	100

अतः प्रकरण में अपोलो नगर गृ.नि.स.स. से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर, तथा दयाल नगर की 6 बीघा भूमि को हाल खसरा नं. 203 की भूमि माने जाने के आधार पर ग्राम गोपालपुरा के खसरा सं. 203 (आंशिक भाग) पर पथिक भवन गृ.नि.स.स. के ओवरलेपिंग से प्रभावित भूखण्डों का नियमन किये जाने हेतु प्रकरण बी.पी.सी. (एल.पी.) के समक्ष निर्णयार्थ प्रेषित है।

<u>समिति का निर्णयः–</u>

समिति द्वारा जोन प्रस्ताव एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत समिति द्वारा बीपीसी–(एलपी) द्वारा पूर्व में अनुमोदित ले–आउट प्लान में दर्शित ओवरलेप भाग को मुक्त करते हुए मानचित्र मे दर्शित सूर्य नगर के ओवरलेप भाग के नियमन हेतु पूर्व में स्वीकृत सूर्य नगर के ले–आउट प्लान के अनुरुप कार्यवाही करने का निर्णय किया गया।

<u>एजेण्डा संख्याः–4–जोन–6 (272/30.08.2019)</u>

विषयः–ग्राम झोटवाडा के खसरा नं. 1060 रकबा 0 बीघा 08 बिस्वा भूमि में से 625.00 वर्ग गज का नियमन करने बाबत्।

<u>प्रकरण के तथ्यः–</u>

उपायुक्त महोदय से चर्चा अनुसार प्रकरण में अन्य तथ्यो को सम्मिलित करते हुए बीपीसी (एल.पी.) हेतु एजेण्डा प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये, जिसके सम्बन्ध में प्रकरण के तथ्य निम्नानुसार है:–

गोपालपुरा बाईपास रोड पर खसरा स. 203 की सरकारी जमीन पर चल रहे कोचिंग संस्थान

505,सुर्यनगर,गोपालपुरा बाईपास रोड,Allen Carrier Institute

503,सूर्यनगर,NITJEE Academy

503A ,सूर्यनगर,PlusPoint Institute

502,सूर्यनगर,Meritto Institute

गोपालपुरा बाईपास रोड पर खसरा स. 203 की सरकारी जमीन पर चल रहे कोचिंग संस्थान

501,सुर्यनगर,गोपालपुरा बाईपास रोड,

1. Extra Marks Institute,ग्राउंड फ्लोर
2. Progressive Institute,फर्स्ट फ्लोर
3. Fitoor Café & Kitchen,सेकंड फ्लोर

रेस्टोरेंट में चलता अवैध हुक्का बार

501-A,सुर्यनगर,गोपालपुरा बाईपास रोड, Teacher ’s Academy

500,सुर्यनगर,गोपालपुरा बाईपास रोड पर बना अवैध कोम्पेल्क्स

पथिक भवन गृह निर्माण सहकारी समिति की स्कीम-10(सूर्यनगर) का जे.डी.ए. अनुमोदित नक्शा,

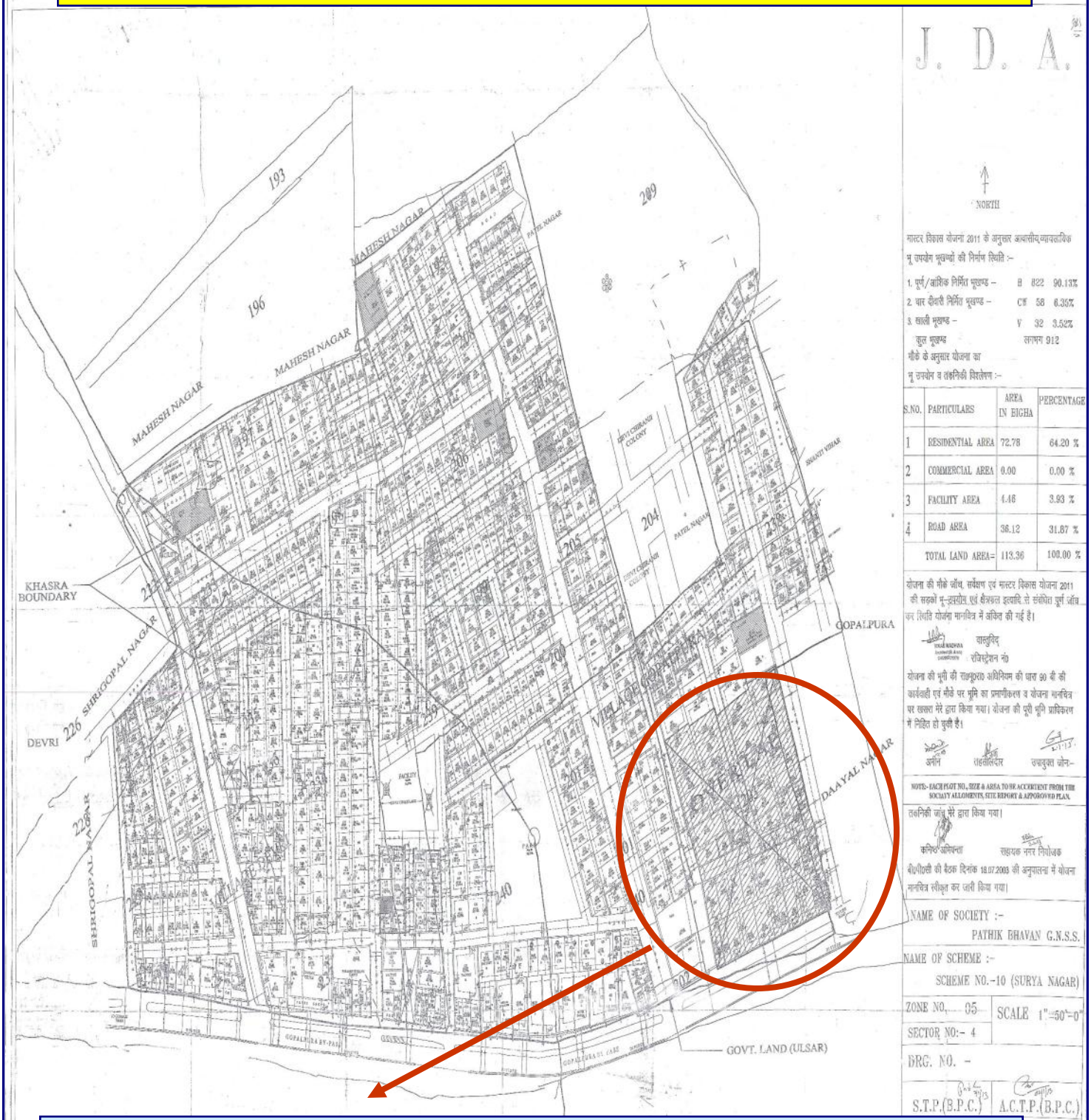

पथिक भवन गृह निर्माण सहकारी समिति की स्कीम-10(सूर्यनगर) का जे.डी.ए. अनुमोदित नक्शा,

जिसमे ग्राम गोपालपुरा पटवार हल्का मांग्यावास के खसरा संख्या 203 को सरकारी जमीन बताया गया है|

राजस्व रिकॉर्ड में खसरा संख्या 203 की 5 बीघा जमीन को जे.डी.ए. के नाम बताया गया है|

7/13/2019 Apnakhata, Land Records of Rajasthan State, Government of Rajasthan

प्रपत्र पी-26 (बी)
(देखिये नियम 153 ए)

जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) (प्रतिलिपि)

ग्राम का नाम :- गोपालपुरा
पटवार हल्का :- मांग्यावास
भू.अभि.नि. :- सांगानेर
तहसील :- सांगानेर
जिला :- जयपुर

सम्वत :- 2072 - 2075
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 21
खाता संख्या पुराना :- 23

काश्तकार का नाम:-

जगदीशनारायण पुत्र भैरूलाल, जाति माली, रकबा 9 विस्वा, रामरतन, दामोदर पि. गणेश, रकबा 12 बीघा, जाति माली, सा. रामपुरा रूपा, मुलचन्द पुत्र मुकन्दीलाल ब्राह्मण, धनरुपमल पुत्र गुलाबचंद वैश्य, विद्यादेवी पत्नी स्व. लक्ष्मीधर ब्राह्मण, विधाधर पुत्र मुलचंद, कानानाथ पुत्र जगन्नाथ महेश्वरी जीसी पुत्र आन्दीलाल जीसी सा.जयपुर रकबा 18 बीघा 12 विस्वा ।

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
203	5.0000	बारानी 3	5.0000	18.5000	नामा. स.: 74 - नि.दि.: 21/12/2017 - न्याया. आदेश से किता 5 रकबा 8.31 है. मे जगदीशनारायण पुत्र भैरूलाल, जाति माली,हि.6/616, रामरतन, दामोदर पि. गणेश, हि.240/616 जाति माली,सा.रामपुरा ,मुलचन्द पुत्र मुकन्दीलाल ब्राह्मण, धनरुपमल पुत्र गुलाबचंद वैश्य,विद्यादेवी पत्नीस्व.लक्ष्मीधर ब्राह्मण,विधाधर पुत्र मुलचंद, कानानाथ पुत्र जगन्नाथ ,महेश्वरी जीसी पुत्र आन्दीलाल जोसी सा.जयपुर हि.370/616 के नाम नवीन अंकन स्वीकार हुआ नामा. स.: 75 - नि.दि.: 14/12/2018 - न्याया. आदेश से ख.न.203/5.00,238/0.20,309/0.40,310/2.48,383/518/0.23 किता 5 रकबा 8.31 है. जगदीशनारायण पुत्र भैरूलाल, जाति माली,हि.6/616, रामरतन, दामोदर पि. गणेश, हि.240/616 जाति माली,सा.रामपुरा ,मुलचन्द पुत्र मुकन्दीलाल ब्राह्मण, धनरुपमल पुत्र गुलाबचंद वैश्य,विद्यादेवी पत्नीस्व.लक्ष्मीधर ब्राह्मण,विधाधर पुत्र मुलचंद, कानानाथ पुत्र जगन्नाथ ,महेश्वरी जीसी पुत्र आन्दीलाल जोसी सा.जयपुर हि.370/616 के बजाय जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के नाम नवीन अंकन स्वीकार हुआ	
238	0.2000	बारानी 3	0.2000	0.7400		
309	0.4000	बारानी 3	0.4000	1.4800		
310	2.4800	बारानी 3	2.4800	9.1760		
383/518	0.2300	बारानी 3	0.2300	0.8510		
कुल खसरे - 5	8.3100		8.3100	30.75		

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है|
इसका उपयोग किसी भी न्यायालय मे साक्ष्य के रूप मे नहीं किया जा सकता है |
नकल जारी करने की तिथि :- 13-Jul-2019

राजस्व रिकॉर्ड में ग्राम गोपालपुरा पटवार हल्का मांग्यावास के खसरा संख्या 203 की कुल 5 बीघा जमीन को जे.डी.ए. के नाम (सरकारी जमीन) बताया गया है|

क्रमांक	जिम्मेदार अधिकारी	नाम
1.	सचिव ,जे.डी.ए.	श्रीमति अर्चना सिंह,
2.	निदेशक नगर आयोजना,जे.डी.ए.	श्री आर.के.विजयवर्गीय
3.	अति. आयुक्त एलपीसी,,जे.डी.ए.	श्रीमति संचिता विश्नोई
4..	अति आयुक्त रिकॉर्ड,जे.डी.ए.	श्रीमति पूनम प्रसाद सागर
5.	सदस्य सचिव एलपीसी	श्री विनय कुमार,
6..	उपायुक्त ज़ोन-5	श्री ओम थानवी
7.	उप नगर नियोजक ,ज़ोन-5	श्री अनुज कुमार फागणा
8.	व अन्य अधिकारी	नाम मालूम नहीं

जे.डी.ए. ज़ोन-5 द्वारा करवाए गए नियम विरुद्ध चल रहे कोचिंग संस्थानों के सर्वे में इस खसरे के कई भूखंड कार्यवाही की जद में|

सूरत हादसे के बाद इसी वर्ष माह महीने में जे.डी.ए. द्वारा ज़ोन 1 से 8 तक,बिना नियम कायदों के चल रहे कोचिंग संस्थानों का सर्वे करवाया गया था,जिसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया था,इस कमेटी में ज़ोन के उपायुक्त,ATP,तहसीलदार,JEN और ExEn. सदस्य थे|ज़ोन– 5 द्वारा गठित कमेटी की संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार इस खसरे में स्थित भूखंड संख्या 501-A,501,502,503,505 पर चल रहे कोचिंग संस्थानों को अवैध माना है|परन्तु इन भूखंड मालिकों द्वारा मोटा पैसा खिलाने से अब तक कोई कार्यवाही नहीं हो सकी है|

कानून का राज

या

बाप का राज?

अधिकारियों को यह बात अवश्य समझ लेनी चाहिए कि हमारे देश में कानून का राज है ना की किसी के बाप का?कोई भी भ्रष्ट अधिकारी कितनी ही कोशिश ले,देर सवेर उसके गुनाहों का कच्चा चिटठा अवश्य खुलेगा,उस समय ना तो इज्जत बचेगी और ना ही दौलत|आज के डिजिटल युग में किसी से कोई बात छुप नहीं सकती|भ्रष्ट अधिकारियों और नेताओं के दिन अब पहले की तरह वैसे ही ठीक नहीं चल रहे|भलाई इसी में है कि वह ईमानदारी से अपनी तनख्वाह में ही गुजर बसर करना सीख ले और कहते है ना कि कानून के हाथ बहुत लम्बे होते है,ऐसा नहीं हो कि कल के अखबारों में उनकी तस्वीर ही देखने को मिल जाए|यह केवल हमारी नसीहत है बाकी सब आदमी के स्वविवेक पर निर्भर है|